न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **14/2026**

मुकेश कुमार राय
बनाम
बिहार सरकार

15-04-2026

अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया है।

आदेश

प्रश्नगत फौजदारी पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता मुकेश राय की ओर से प्रस्तुत कर विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज द्वारा एम0वाद0 संख्या 02/2026 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2026 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। आगे इनका कथन है कि बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 के तहत कार्यवाही ग्राम खेढ़वा, थाना बसंतपुर, जिला सिवान स्थित खाता संख्या 208, प्लॉट संख्या 195, रकबा एक कट्ठा 19 धुर से संबंधित है। कथित विवादित प्लॉट आर0एस0 खतियान में महावीर कोईरी के नाम से दर्ज है। महावीर कोईरी अपने मृत्यु उपरान्त अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः ब्रम्हा कोईरी, विष्णु कोईरी एवं गणेश कोईरी को छोड़ गए। कालांतर में इस परिवार के सदस्य संजय कुमार एवं शशिभूषण प्रसाद ने दिनांक 30.09.2024 को पुनरीक्षणकर्ता मुकेश राय को 01 कट्ठा 19 धुर जमीन बैनामा कर दिया और तबसे इस खरीदगी भूमि पर मुकेश राय का शांतिपूर्ण दखल कब्जा रहा है। बाद में विपक्षी मुस्तफा ने बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 के तहत कार्यवाही आरंभ करवाया है जबकि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार उभय पक्ष के बीच महाराजगंज स्थित व्यवहार न्यायालय में हकीयत वाद संख्या 18/2025 लंबित है। इनका यह भी कथन है कि जब उभय पक्ष के बीच विवादित जमीन के बाबत् हकीयत वाद व्यवहार न्यायालय में लंबित है तो इस जमीन पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 के अंतर्गत की गई कोई कार्यवाही मान्य नहीं है। अतः इस फौजदारी पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत कर विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज द्वारा पारित आदेश को स्थगित किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज का आदेश दिनांक 02.01.2026 मात्र विधि व्यवस्था व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पारित किया गया है। इसमें कोई विसंगति नहीं है।

प्रश्नगत् फौजदारी पुनरीक्षण वाद के साथ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज के न्यायालय से एम0वाद संख्या 02/2026, अन्तर्गत धारा 163 बी0एन0एस0एस0, का मूल अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद में विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

न्यायालय - मोतिश कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, सिवान।

फौजदारी पुनरीक्षण वाद संख्या - **14/2026**

मुकेश कुमार राय
बनाम
बिहार सरकार

15-04-2026

<u>लगातार</u>

महाराजगंज ने दिनांक 02.01.2026 का पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर कथित विवादित भूमि के विवाद के कारण उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना को मद्देनजर दोनों पक्ष पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 के तहत प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। इस अभिलेख पर थानाध्यक्ष का प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2025 उपलब्ध है जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि प्रथम पक्ष मुस्तफा एवं द्वितीय पक्ष मुकेश राय के बीच ग्राम– खढ़वा, थाना नम्बर 303, खाता संख्या 208, सर्वे नंबर 195, रकबा 1 कट्ठा 19 धुर के बाबत् सिविल जज (वरीय कोटि), महाराजगंज के न्यायालय में हकीयत वाद संख्या 18/2025 लंबित है। आगे इनका प्रतिवेदन है कि वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच भय व्याप्त है तथा इस जमीन को लेकर कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है।

संपूर्ण प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि कथित मामला भूमि विवाद से संबंधित द्विपक्षीय प्रकृति का है जिस हेतु अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, महाराजगंज में हकीयत वाद संख्या 18/2025 लंबित है लेकिन विद्वान अनुमण्डली दण्डाधिकारी, महाराजगंज ने इस भूमि विवाद को नजर अंदाज कर इस मामले में बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 की कार्यवाही को आरंभ किया है जो अप्रासंगिक था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि बी0एन0एस0एस0 की धारा 163 की कार्यवाही विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महाराजगंज द्वारा दिनांक 02.01.2026 को आरंभ की गई थी जिसकी समयावधि दो माह व्यतीत होने के पश्चात् प्रभावहीन हो चुकी है। **अतः प्रस्तुत फौजदारी पुनरीक्षण वाद को नि0प्रभावी होने के आधार पर निस्तारित किया जाता है।**

कार्यालय आदेश की एक प्रति एवं विचारण न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय में भेजे तथा इस पुनरीक्षण वाद के अभिलेख को अभिलेखागार, सिवान में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
सत्र न्यायाधीश, सिवान।
15-04-2026

Date of Judgement/order	15-04-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	15-04-2026
Date of Uploading	30 -04-2026
Uploaded by	Ajit kumar